

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जीयनपुरगोवध अधिनियम में दो गिरफ्तार, गौमांश व मोटरसाईकिल भी बरामद ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग अभियान वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक- 16.07.2021 को उ० नि० अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान दो नफर अभियुक्तगण (1) रुस्तम पुत्र शोहराब निवासी नौशहरा कस्बा व थाना जीयनपुर आजमगढ़ (2) बादशाह पुत्र सोहराब निवासी नौशहरा कस्बा व थाना जीयनपुर आजमगढ़ के पास से 45 किलो गोमाँस व एक अदद मो० सा० तथा 121/- रु० बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 184/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- (1) रुस्तम पुत्र शोहराब निवासी नौशहरा कस्बा व थाना जीयनपुर आजमगढ़
- (2) बादशाह पुत्र सोहराब निवासी नौशहरा कस्बा व थाना जीयनपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु० अ० सं० 184/2021 धारा 3/5/8 गोवध नि० अधि० थाना जीयनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे० का० दिलीप शर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का० सुमित राव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का० मनीष श्रीवास्तव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदहबौवापार में हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार, आला अवैध पिस्टल भी बरामद

दि० 27-06-21 को ग्राम बौवापार में नाली के विवाद को लेकर हुई हत्या के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 141/21 धारा 147/148/149/452/307/302 भा०द०वि० व 7 CLA ACT बनाम 1. आकाश पुत्र सतशील 2. आशीष पुत्र सतशील 3. सतशील उर्फ पप्पू पुत्र अज्ञात 4. घनश्याम पुत्र लालसा तिवारी 5. आशुतोष पुत्र रविकान्त तिवारी साकिनान ग्राम बउवापार थाना बरदह जनपद पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना प्र०नि० विनय कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही थी। दौरान विवेचना अभि०गण 1- राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह सा० सादीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 2-सुजीत सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह सा० इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3- शुभम राय पुत्र देवदत्त राय सा० बीकापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व 2- 3 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया था। जिसमें अभि० 1.आकाश पुत्र सतशील 2.आशीष पुत्र सतशील 3. सतशील उर्फ पप्पू पुत्र अज्ञात 4. घनश्याम पुत्र लालसा तिवारी 5- राजन सिंह पुत्र अशोक सिंह सा० सादीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 6 -सुजीत सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह सा० इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 7 - शुभम राय पुत्र देवदत्त राय सा० बीकापुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को पूर्व से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में अपराध जगत में अंकुश लगाये जाने व वाँछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 16.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक मय उ०नि० माखन सिंह , हे०का० योगेन्द्र यादव , का० ऐनुद्दीन फारूकी का० साजिद अली का० विपिन सिंह , का० बृजेश गौड द्वारा मु०अ०सं० 141/21 धारा 147/148/149/452/307/302 भा०द०वि० व 7 CLA ACT थाना बरदह आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश तिवारी पुत्र सत्यशील तिवारी ग्राम बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 07.30 बजे

गिरफ्तार किया गया उसके पास से आला अवैध पिस्टल बरामद किया गया जिससे उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/25 शस्त्र अधि० की बढोत्तरी कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान बताया कि इसी पिस्टल से दिनांक 27.06.21 को बौवापार हाइवे पर गोली चलाया था जिसे घटना के बाद ने भागते समय यहाँ पर रख कर चला गया था जिसे निकाल कर आपको दे दिया है ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०स० 141/21 धारा 147/148/149/452/307/302 भा०द०वि० व 7 CLA ACT थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- अभियुक्त आकाश तिवारी पुत्र सत्यशील तिवारी ग्राम बौवापार थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 अदद आला अवैध पिस्टल

पुलिस टीम-

1- प्र०नि० विनय कुमार मिश्रा , उ०नि० श्री माखन सिंह , हे०का० योगेन्द्र यादव , थाना बरदह जनपद आजमगढ़

2- का० ऐनुद्दीन फारूकी का० साजिद अली का० विपिन सिंह , का० बृजेशगौड थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

गैरेस्टर के वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 16.07.21 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मय हमराह बिन्द्राबाजार तिराहा पर मौजूद थे कि मुखबीर खास से सूचना मिली कि गैरेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तगण अशरफ पुत्र समशुद्दीन, समशुद्दीन पुत्र मुहम्मद व सितारा पत्नी समशुद्दीन अपने घर पर मौजूद है यदि आप चाहे तो उनकी गिरफ्तारी कर सकते है जिस पर प्रभारी निरीक्षक व अन्य हमराही कर्मचारीगण के बिन्द्राबाजार से रवाना होकर अभियुक्तगण के घर पहुँचे तो अभियुक्तगण अशरफ पुत्र समशुद्दीन, समशुद्दीन पुत्र मुहम्मद व सितारा पत्नी समशुद्दीन निवासीगण मंगराँवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद मिले जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर समय 12.05 बजे हिरासत मे लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 138/21 धारा 3(1) यू.पी. गैरेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

2. मु०अ०स० 192/200 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 307 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अशरफ पुत्र समशुद्दीन निवासी मंगराँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

2. समशुद्दीन पुत्र मुहम्मद निवासी मंगराँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

3. सितारा पत्नी समशुद्दीन निवासी मंगराँवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़

व.उ.नि. नवल किशोर सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

हे० का० इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का० सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का० उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

म.का. स्वप्निल सक्सेना थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना सिधारी

मारपीट में दो नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.07.2021 को वादी मुकदमा महाजन S/O बजरंगी ग्राम गौरडीह खालसा थाना सिधारी , जनपद-आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिया कि समय करीब 02.00 बजे जंगले व दरवाजे पर छज्जा निकालने की बात को

लेकर मेरे ही गाँव के लालचन्द S/O विशुनधारी आदि लोगो द्वारा गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने लगे जिससे मुझे व मेरे परिवार के लोगो को काफी चोटे आई है। लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 174/2021 धारा 147/323/504 भादवि पंजीकृत कर विवेचना अमल मे लाई गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 मिथलेश कुमार मु0अ0स0 174/21 धारा 147/323/504 भादवि की विवेचना से धारा 308 भादवि की बढोत्तरी की गई। तत्पश्चात् मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास ने सूचना दी की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण नरौली पर पर घुम रहे है मुखबिर की बातो पर विश्वास करके मुखबिर को साथ लेकर नरौली पर पहुचे तो मुखबिर 02 व्यक्तियों की ओर इशारा कर हट बढ गया। जैसे ही पुलिस बल उनके नजदीक पहुँची तो पुलिस को देखकर हडबडा गये व भागने का प्रयास करने लगे। कुछ दूरी पर ही दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकडने पर नाम पता पुछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1-मुन्ना पुत्र बालचन्द्र 2-बालचन्द्र पुत्र विसुनधारी सा0 निवासी गण गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताये, नाम सही तस्दीक होने के उपरान्त अभियुक्तगण को समय 14.00 बजे गिरफ्तार कर कारण गिरफ्तारी बताकर नरौली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1. मु0अ0स0 मु0अ0स0 174/2021 धारा 147/323/504/308 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1-मुन्ना पुत्र बालचन्द्र गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 2-बालचन्द्र पुत्र विसुनधारी सा0 निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
2. क0 का0 नीरज कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 29 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।*